भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1268
(03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण सड़कों का निर्माण

1268. श्री अनूप संजय धोत्रे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु अकोला (महाराष्ट्र) से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है , यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) अकोला जिले में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान वर्ष - वार कितने कार्य लंबित हैं और इन्हें कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई- । और ।।) के अंतर्गत पहले ही पूरी पात्र सड़क लंबाई स्वीकृत की जा चुकी है। राज्य को पीएमजीएसवाई- ।।। के अंतर्गत 6,550 किलोमीटर सड़क लंबाई आवंटित की गई है और इसमें से 6500 किलोमीटर सड़क की लंबाई राज्य को पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। इसमें राज्य के अकोला जिले से संबंधित 116.01 किलोमीटर लंबाई के 10 सड़क कार्यों की मंजूरी भी शामिल है। 116.01 किलोमीटर सड़क लंबाई में से अकोला जिले में 110.51 किलोमीटर सड़क का निर्माण पहले ही हो चुका है। पीएमजीएसवाई-।।। के पूरा होने की समयसीमा मार्च 2025 तक है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत केंद्रीय निधियां राज्य सरकारों को जारी की जाती हैं और इसके आगे राज्य सरकारों द्वारा जिला और उप-जिला स्तर पर निधियां जारी की जाती हैं। पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के लिए राज्य को निधियां राज्य से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर जारी की जाती हैं और यह अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों में चल रहे कार्यों, राज्य की कार्य निष्पादन क्षमता और राज्य के पास उपलब्ध अप्रयुक्त निधि पर निर्भर करती है। पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य को जारी केंद्रीय निधि और पीएमजीएसवाई के तहत महाराष्ट्र में व्यय का ब्यौरा, नीचे दिया गया है:-

(रूपये करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	**जारी केंद्रीय निधि**	**व्यय (राज्य अंश सहित)**
2019-20	150.00	207.12
2020-21	0.00	221.59
2021-22	0.00	376.73
2022-23	743.00	1074.02
2023-24	1110.80	1507.37
2024-25 (28.11.2024 की स्थिति के अनुसार)	234.21	645.91

पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत जिलावार व्यय कार्यक्रम की वेबसाइट **omms.nic.in=>progress monitoring=>MPR1** पर देखा जा सकता है

ग्रामीण सड़कें राज्य का विषय हैं। कार्यक्रम के तहत निर्मित सड़कों का रखरखाव राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और मानक बोली दस्तावेज के अनुसार सभी सड़क कार्यों का शुरूआती पंचवर्षीय रखरखाव भी उसी ठेकेदार के साथ की जाने वाली निर्माण की संविदा में शामिल होता है। रखरखाव निधि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। 5 वर्ष से अधिक पुरानी सड़कों का रखरखाव भी राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

*****